अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
16.4.26	रामकिशोरी बनाम शैतान वगैरह (2025/451) यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण की पत्रावली को आगामी दिनांक 28.04.2026 से आज ही तलब कर प्रकरण आज ही नोटप्रेस किये जाने की अनुमति प्रदान किय जाने बाबत पेश किये जाने से आज तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट्स श्री सुण्डाराम जाट उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के मूल वाद संख्या 91/2023 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश की, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के बीच वादग्रस्त आराजी के संबंध में आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनुमा हो चुका है अतः प्रकरण को आगे नहीं चलाकर नोटप्रैस करना चाहते है। अपीलांट संख्या 01 से 03, 5, 6, 7 स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री सुण्डाराम जाट द्वारा की गई तथा अपीलांट संख्या 4 व 8 की ओर से पॉवर ऑफ अर्टोनी अपीलांट संख्या 02 अशोक मेहरा उपस्थित हुए एवं अपील को आगे नहीं चलाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अभिभाषक अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद खारिज किया जा चुका है। जिसके अभाव में उक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है। जो कि मूल वाद का निस्तारण किये जाने से सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया । बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन मूल राजस्व वाद संख्या 91/2023 वउनवान रामकिशोरी बनाम शैतान दिनांक 15.04.2024 को खारिज किया जा चुका है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है जो कि मूल वाद का निस्तारण किये जाने से सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट मूल वाद का निस्तारण किये जाने से सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

2919

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील आर.टी.ए./संख्या 451 /2025 (जिला अजमेर)

2025/451

1. रामकिशोरी पत्नि स्व. श्री रामनारायण, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. अशोक मेहरा पुत्र स्व. श्री रामनारायण, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. मंगलचन्द मेहरा पुत्र स्व. श्री रामनारायण, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. सन्तोष मेहरा पुत्री स्व. श्री रामनारायण पत्नि जगदीश, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. मन्जू देवी मेहरा पुत्री स्व. श्री रामनारायण पत्नि नन्दकिशोर, जाति मेहरा, निवासी– न्यु आई टी कॉलोनी, आजाद नगर, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. रेखा कुमारी मेहरा स्व. श्री रामनारायण पत्नि नन्दकिशोर, जाति मेहरा, निवासी– किला रोड़, जसवंत थडे की घाटी, बत्ता सागर जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
7. माया पुत्री स्व. श्री रामनारायण पत्नि मदनलाल, जाति मेहरा, निवासी– साडीयों का, मेहरों की नन्दी, त्रिपोलिया बाजार जयपुर।
8. ममता पुत्री स्व. श्री रामनारायण पत्नि मुकेश, जाति मेहरा, निवासी– पुरानी मील के पास जयपुर रोड़, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
9. हेमा पुत्री स्व. श्री रामनारायण पत्नि हर्षवद्धन, जाति मेहरा, निवासी– फायसागर रोड़, गली नम्बर 2 अजमेर, जिला अजमेर।

451/2025
19.9.25

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. शैतान पुत्र सुवालाल, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. शंकर पुत्र सुवालाल, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. गीता देवी पुत्री सुवालाल, जाति मेहरा, निवासी– चैनपुरिया, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा मदनगंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. श्रीमान् उपपंजियक महोदय किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगढ़, जिला अजमेर।

—रेस्पोण्डेन्ट्स

...2..

रामकिशोरी अशोक मेहरा मंगलचन्द सन्तोष मन्जू देवी

रेखा माया ममता हेमा

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व
आदेश दिनांक 26.08.2025 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2023
अनुवान रामकिशोरी व अन्य बनाम शैतान व अन्य जो कि
श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़,
जिला अजमेर द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण/अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया। इसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक राजस्व प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण/अपीलांट्स की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारीयो की संयुक्त कब्जे पैतृक, कब्जे–काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात ग्राम किशनगढ़ बी (मदनगंज), पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, किस्म गै0मु0चाह, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खातेदारी अधिकार अभिलेख में दर्ज है, एवं खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अधिकार अभिलेख में खातेदार दर्ज है। शेष खातेदार से अनुतोष नही चाहा गया है इस कारण पक्षकार नही बनाया गया है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के दादा घासी उर्फ घीसा उर्फ घीसा जी मेहरा से अपने पुत्रगण रामनारायण, काना, लक्ष्मीनारायण, सुवालाल को प्राप्त हुई जो काना के नाऔलाद फोट होने से सुवालाल के वारीस व लक्ष्मीनारायण व रामनारायण के नामान्तकरण दर्ज हो गया था एवं लक्ष्मीनारायण का 1/3 हिस्सा दर्ज था। सुवालाल अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के फौत होने के पश्चात् सुवालाल के वारीसों के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक हो गया था जो शेष पुत्रीयों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में हकत्याग होने से वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजी में रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा उर्फ घीसा जी अर्थात प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी/पिता/पति का 1/3 हिस्सा अधिकार अभिलेख दर्ज था जो रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पक्ष में रिलीज (हकत्याग) कर दिया जो जरिये नामान्तकरण संख्या 917 दिनांक 28.08.2003 तस्दीक किया गया है जो अवैध, शुन्य व प्रार्थीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा द्वारा अवैध रूप से सम्पूर्ण हिस्से का गलत रूप से रिलीज (हकत्याग) किया गया है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में केवल अपना हिस्सा जो पैतृकता के आधार पर 1/3 में से 1/10 हिस्सा रिलीज (हकत्याग) करने का अधिकार रखते थे। परन्तु सम्पूर्ण हिस्से का रिलीज (हकत्याग) नही किया जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार रिलीज (हकत्याग) से किसी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते है, एवं संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदारों को छोडकर एक सहखातेदार के पक्ष में रिलिज (हकत्याग) निष्पादित नही किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया गया रिलिज (हकत्याग) प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है एवं प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर व शुन्य है। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में

...3..

रामकिशोरी

अशोक मेहरा

सन्तोष

मन्जू देवी कृष्णा माया ममता हेमा

Scanned with CamScanner